

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
 अप्रैल सं. २०१८ | ८३|१३ जिला अलवड़ा

उनवान

तारीख हुआ	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२७.१.१४	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>वकील प्रार्थी श्री एम.पी.शर्मा एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन.एस.राठौड़ उपस्थित। रेकिटफिकेशन प्रार्थना—पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। श्री शर्मा एडवोकेट ने रेकिटफिकेशन प्रार्थना—पत्र को ओर आगे नहीं चलाने एवं विद्वान् करने का निवेदन किया। इस बाबत् श्री शर्मा ने प्रार्थना—पत्र भी पेश किया जो पत्रावली पर रखा गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई।</p> <p>श्री शर्मा की रेकिटफिकेशन प्रार्थना—पत्र को विद्वान् करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत रेकिटफिकेशन प्रार्थना—पत्र जरिये विद्वाल खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">३ सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	